

मानसून सत्र में 'प्रश्नकाल' और 'शून्यकाल' पर प्रतर्बंध

प्रलिस के लयल:

प्रश्नकाल और शून्यकाल

मेन्स के लयल:

प्रश्नकाल और शून्यकाल का महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा के सचवलों ने अधसूचलत कयल है कल COVID-19 महामारी के चलते संसद के मानसून सत्र के दौरान 'प्रश्नकाल' नहीं होगा तथा 'शून्यकाल' प्रतर्बंधों के साथ दोनों सदनों में होगा ।

प्रमुख बढु:

- ये अधसूचनाएँ 14 सतंबर से 1 अक्तूबर के बीच लागू रहेगी ।
- वपलकषी सांसदों ने इस कदम की आलोजना करते हुए कहा है कल इससे वे सरकार से प्रश्न करने का अधकार खो देंगे ।

प्रश्नकाल:

- संसदीय प्रक्रयल नयलमों में प्रश्नकाल उल्लखलत नहीं है ।
- संसदीय कार्यवाही का पहला एक घंटा प्रश्नकाल के लयल नरलधरतल होता है । इस अवधकल दौरान संसद सदस्यों द्वारा मंत्रयलों से प्रश्न पूछे जाते हैं । मंत्री सामान्यतः इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं ।
- वर्ष 1991 के बाद से प्रश्नकाल के प्रसारण के साथ, प्रश्नकाल संसदीय कार्यप्रणाली का सबसे महत्त्वपूर्ण साधन बन गया है ।
- 'प्रश्नकाल' में पूछे गए प्रश्न नमलनलखलत श्रेणी के होते हैं:

तारांकतल प्रश्न:

- ऐसे प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा मौखकल रूप में दयल जाता है एवं इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने की अनुमतल होती है ।

अतारांकतल प्रश्न:


- ऐसे प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा लखलत रूप में दयल जाता है एवं इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मललता है ।

अल्पसूचना प्रश्न:

- इस प्रकार के प्रश्नों को कम-से-कम 10 दनल का पूर्व नोटसल देकर पूछा जाता है, तथा प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा मौखकल रूप से दयल जाता है ।

Functioning of Question Hour

% of time utilised out of time allotted to Question Hour



शून्यकाल:

- संसदीय प्रक्रिया नियमों में प्रश्नकाल के समान 'शून्यकाल' भी उल्लिखित नहीं है।
- यह संसदीय कार्यप्रणाली का अनौपचारिक साधन है, संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी मामले को उठा सकते हैं।
- शून्यकाल का समय प्रश्नकाल के तुरंत बाद अर्थात दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होता होता है।
- संसदीय प्रक्रिया में यह 'नवाचार' भारत की देन है।

प्रश्नकाल और शून्यकाल का महत्त्व:

- पछिले 70 वर्षों में सांसदों ने सरकारी कामकाज पर प्रकाश डालने के लिये इन संसदीय साधनों का सफलतापूर्वक उपयोग किया है।
- सांसदों द्वारा इन साधनों का प्रयोग करके सरकार की अनेक वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया गया है।
- प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए प्रश्नों से सरकारी कामकाज के बारे में आँकड़ों और जानकारी की सार्वजनिक डोमेन में उपलब्धता सुनिश्चित हुई है।
- संसदीय नियम पुस्तिका में ये संसदीय प्रक्रिया साधन उल्लिखित नहीं होने के बावजूद इन्हें नागरिकों, मीडिया, सांसदों और पीठासीन अधिकारियों का व्यापक समर्थन प्राप्त है।

आगे की राह:

- सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है, इसलिये सरकार की जवाबदेहता सुनिश्चित करने के लिये संसदीय कार्यवाही को नलिंबित या बंद नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि यह संविधान की भावना के विरुद्ध होगा

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस